<u>न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1, गोण्डा।</u>

जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1047 / 2026

<u>C.N.R.No-UPGD01003137-2026</u>

लक्ष्मन आयु करीब 30 साल पुत्र कर्ताराम निवासी ग्राम दनौवा (बिरवा बभनी), थाना–मोतीगंज जनपद गोण्डा।

————–प्रार्थी / अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ————————————————————————**अभियोजन**

अपराध संख्या–324 / 2020
धारा–323,325,504,308 भा0दं0सं0
<u>थाना–मोतीगंज, जिला–गोण्डा।</u>

<u>दिनांक–04.06.2026</u>

प्रार्थी / अभियुक्त लक्ष्मन की ओर से अपराध संख्या–324 / 2020, धारा–323, 325,504,308 भा0दं0सं0 थाना–मोतीगंज, जिला गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जो उसके पैरोकार ठाकुर प्रसाद के शपथ पत्र से समर्थित किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा सोना देवी द्वारा थाना मोतीगंज, गोण्डा में इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गई है कि दिनांक–17.05.2020 की रात करीब 11 बजे विपक्षी कर्ताराम गाली देने लगे। जब उसने गाली देने से मना किया तो हनुमान व लक्ष्मन व काछे गाली दिया व लात, मूक्का व थप्पड़ से मारे। जब आवाज सुनकर उसकी लड़की पिंकी देवी व मनीषा बचाने दौड़ी तो उन्हें लाठी से मारे हैं। उसका दवा इलाज गोण्डा जिला अस्पताल में हो रहा था। सूचना दे रही है।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना मोतीगंज में घटना की एन0सी0आर 86 / 2020 अन्तर्गत धारा–323,504 भा0दं0सं0 नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत की गई। विवेचना के दौरान घटना में मजरूबों को आयी चोटें के आधार पर प्रकरण में मु0अ0सं0–324 / 2020 अन्तर्गत धारा–323,325,504,308 भा0दं0सं0 में तरमीम किया गया।

प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा जमानत हेतु मुख्य आधार यह लिया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी को उक्त फर्जी व बनावटी तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। वादिनी के परिवार वालों व प्रार्थी के परिवार वालों के बीच आबादी की जमीन को लेकर रंजिश चल रहा है। कथित घटना दिनांक को वादिनी के परिवार वाले प्रार्थी की पुस्तैनी आबादी की जमीन को कब्जा करने की नियत से लाठी डंडा कुदाल फावड़ा लेकर कब्जा करने लगे। प्रार्थी की पत्नी व मां के मना करने पर वादिनी के परिवार वाले प्रार्थी की पत्नी व मां को भद्दी–भद्दी गाली व जान से मार डालने की धमकी देते हुए लाठी डंडे से बुरी तरह से मारे पीटे। जिसमें प्रार्थी की पत्नी की तहरीर पर वादिनी के परिवार वालों के विरूद्ध थाना मोतीगंज में एन0सी0आर 79 / 20 धारा 323,504 भा0दं0सं0 में मुकदमा पंजीकृत किया गया

है। वादिनी व उसके परिवार वालों ने स्वयं पर दर्ज उक्त मुकदमें से बचने व दबाव बनाने की नियत से राजनैतिक दबाव बनाकर फर्जी व बनावटी चोटे दिखाकर प्रार्थी व उसके पिता एवं अन्य भाईयों के विरूद्ध उक्त फर्जी मुकदमा कायम करवा दिया। वादिनी .द्वारा एक ही घटना दिखाकर दो मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है जिसमें एक मुकदमा एन0सी0आर नं0–86/20 व दूसरा मुकदमा मु0अ0सं0 324/20 पंजीकृत किया गया है, जो कानून गलत है। प्रार्थी द्वारा किभी भी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की गयी है, बल्कि वादिनी द्वारा उसके परिवार वालों के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में क्रास केस बनवाने की नियत से उक्त फर्जी मुकदमा कायम करवाया गया है। वादिनी व उसके परिवार वालों द्वारा ही अग्रेसर प्रार्थी की पुस्तैनी आबादी की जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया गया। प्रार्थी स्वंय हाजिर अदालत आकर आत्मसमर्पण किया है। मामले का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। प्रार्थी का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सह अभियुक्तगण की जमानत मा0 उच्च न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का कोई भिन्न रोल नहीं है। उक्त कथनों के आधार पर प्रार्थी को उचित जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने की याचना की है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अपराध की गंम्भीरता के आधार पर जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैंने अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा व उसके परिवार वालों को गाली गुप्ता देते हुए मूका, थप्पड़ व लाठी डण्डे से मार कर गंभीर चोटे पहुंचाकर आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न करने का अभियोग लगाया गया है।

केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त मार पीट की घटना में वादिनी सहित कुल चार लोगों को चोटें आना दर्शित है, जिसमें मजरूबा मनीषा के सिर की हड्डी टूटी होने व चिकित्सक द्वारा उसकी चोटों को गंभीर प्रकृति का होना बताया गया है। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा वादिनी/मजरूबा सोना देवी व मनीषा का बयान अन्तर्गत धारा–161 दं0प्र0सं0 अभिलिखित किया गया, जिसमें उनके द्वारा कथन किया गया है कि घटना दिनांक को जमीनी विवाद को लेकर कर्ताराम व उसके लड़के काछे उर्फ रमाकान्त, लक्ष्मन व हनुमान ने भद्दी–भद्दी गाली देते हुए उन्हें मारा पीटा। हनुमान ने मनीषा के सिर पर लाठी से मारा था, जिससे मनीषा के सिर की हड्डी टूट गयी थी।

इस प्रकार केस डायरी पर उपलब्ध मजरूबों के बयान में वर्तमान अभियुक्त द्वारा कारित घटना के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बतायी गयी है। दोनों पक्षों के बीच आबादी की जमीन को लेकर विवाद है। अभियोजन पक्ष की ओर अभियुक्त उपरोक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त अन्तरिम जमानत पर है

और उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है तथा उसके द्वारा मजिस्ट्रेट न्यायालय में आत्मसमर्पण कर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है। मुकदमा उपरोक्त में बाद विवेचना विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। सहअभियुक्तों की जमानत मा0 न्यायालय न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय विधि व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी0बी0आई0 2021(10) एस0सी0 773** में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में प्रार्थी/अभियुक्त के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त लक्ष्मन की ओर से अपराध संख्या–324/2020, धारा–323,325, 504,308 भा0दं0सं0 थाना–मोतीगंज, जिला–गोण्डा के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–**1047/2026 स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/–(पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

(सूर्य प्रकाश सिंह)
J.O.Code-UP6272
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0–1, गोण्डा।

दिनांक–04.06.2026

Digitally signed by SURYA PRAKASH SINGH
Date: 2026.06.06 11:29:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court